

30/5/25

पशावली पेशी में ली गई।
प्राथमिक जैरसेल को न मूल
वाद पर में प्रार्थना पर व
हस्तागत पशावली फर्द अदकार पर
हस्ताक्षर का निवेदन किया है
कि प्रकरण में आगामी कार्यवाही
नहीं चाहती व प्रार्थना पर स्वीकार
का आदेश 18/9/2024 निरस्त कर
पशावली का प्रमाण कपता की
जारी व आदेश सुनाया गया।



RTI प्रमोशन
पदचानकर्ता

रविन्द्र सिंह

(रविन्द्र सिंह s/o
अस-र सिंह)

रविन्द्र सिंह की
पदचान की
प्रमाण

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

